

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 18.02.2021 के द्वारा निम्नांकित याचिकार्थियों के अभ्यावेदन निस्तारण हेतु विभाग को भिजवाए गए है -

क्र.सं.	याचिकार्थी/कार्मिक का नाम मय	याचिका संख्या	मैरिट नं.	आवंटित जिला	गृह / चाहा गया जिला
01	Rajesh kumar swami	7955/2020	3714	चित्तौड़गढ़	जयपुर
02	Girraj prasad meena	8308/2020	21030	बाडमेर	दौसा
03	Praveen Kumar meena	8308/2020	20294	बाडमेर	दौसा
04	Bijendra kumar choudhary	8935/2020	3739	धौलपुर	अलवर

उक्त याचिकाएं लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 से संबंधित है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.20 एवं 29.09.20 के द्वारा याचिकार्थियों को राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के उपनियम 24(iv) के तहत गृह जिला आवंटन हेतु प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

राजस्थान अधिनस्थ सेवा अधिकारी मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 28(4) एवं इसके उप नियम में अभ्यर्थी द्वारा चाहे गए प्राथमिकता अनुसार व उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखकर ही यथा संभव पदस्थापन किये जाने के निर्देश है जो कि पूर्णतः बाध्यकारी नहीं है एवं किसी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन कि मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकतानुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेक व विभाग की आवश्यकताओं के अधीन है।

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु-3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश-क्रमांक प. 17(3) शिक्षा-2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के अनुसार ही काउन्सलिंग प्रक्रिया के द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियों में याचिकार्थियों को जिलों का आवंटन किया गया था जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है।

उक्त कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, याचिकार्थियों द्वारा चाहे गए जिले यथा जयपुर, दौसा एवं अलवर में कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पद नहीं होने एवं इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने के कारण एतदनुसार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनो को अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/याचिका सं.7956/चन्द्रशेखर व अन्य 59/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक - 09/04/21

1. शासन संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग(अनुभाग-3), जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(3)प्रसु/-3/2020 जयपुर दिनांक 18.02.21 के क्रम में।
2. एनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिका से संबंधित कार्मिक को अभ्यावेदन के निर्णय से अवगत करावे।
3. संबंधित कार्मिक।
4. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर